**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 215 OF 2024

IN THE MATTER OF:
ANKIT TIWARI .... **APPLICANT**

VERSUS

ISKCON PRAYAGRAJ THROUGH ITS PRESIDENT ACHYUT MOHAN DAS ALIAS ADITYA MITTAL ...**RESPONDENTS**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in Compliance to the order dated 27.08.2024.	1 – 5
2.	**ANNEXURE-1** True copy of letter dated 29.08.2024	6
3.	**ANNEXURE-2** True copy of letter dated 29.08.2024	7
4	**ANNEXURE-3** True copy of letter dated 29.08.2024	8
5	**ANNEXURE-4 & 5** True copy of letter dated 29.08.2024 & 11.09.2024	9 – 10
6	**ANNEXURE-6** True copy of letter dated 28.11.2024	11

7	**Annexure-7** Inspection Report alongwith the photographs	12-13
8	**Annexure-8** True copy of letter dated 24.08.2024	14
9	**Annexure-9** True copy of letter dated 30.11.2024	15

NEW DELHI
DATED: 04.12.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

/

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 215 OF 2024

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg.No. 20(20)2001 Exp Date 2-2-2026 NOTARIAL GOVT. OF U.P.

3-12-24

IN THE MATTER OF:

Ankit Tiwari **...Applicant**

Versus

ISKCON Prayagraj through its President
Achyut Mohan Das alias Aditya Mittal & Ors. **...Respondent(s)**

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg.No. 20(20)2001 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

RESPONSE ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Dr. Suresh Chandra Shukla S/o Late Raj Nath Shukla, aged about 59 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Prayagraj do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That present matter is about the Respondent No. 1 is carrying out unauthorized and illegal construction on the land situated in

close proximity of River Yamuna and on the flood plain zone of River Yamuna.

3. That vide its order dated 27.08.2024 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) has passed the following direction:

..."4. *Learned Counsel for UPPCB has stated that action will be taken against the authority/person who carries out or permits construction on the flood plain zone of river Yamuna and UPPCB will ensure that no construction takes place in flood plain zone of river Yamuna.*"...

4. That in compliance to the above mentioned order the UPPCB vide its letter Ref. No. G00836/NGTO.A.No. 215/2024, dated 29.08.2024 has sent a letter to Project Proponent, M/s ISKCON Prayagraj alongwith the copy of the order dated 27.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal to complied with. A true copy of letter dated 29.08.2024 is being annexed as **Annexure No.-1.**

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg.No 20(20)2001 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

5. That further in compliance to the order passed by this Hon'ble Tribunal the UPPCB vide its letter Ref. No. G00835/NGT O.A.No.215/2024, dated 29.08.2024 has written a letter to Prayagraj Development Authority alongwith the copy of the order dated 27.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal to complied with. A copy of letter dated 29.08.2024 is being annexed as **Annexure No.-2.**

6. That furthermore in compliance to the order the UPPCB vide its letter Ref. No. G00834/NGT O.A.No.215/2024 dated 29.08.2024 has also sent a letter to Executive Engineer, Flood Works Division, Irrigation Department, Prayagraj alongwith the copy of the order dated 27.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal to be complied with. A copy of letter dated 29.08.2024 is being annexed as **Annexure No.-3.**

7. That it is also necessary to mention here that the UPPCB vide its letter Ref. No. G00839/NGT O.A.No.215/2024 dated 29.08.2024 has also sent a letter to Executive Engineer, Flood Works Division, Irrigation Department, Prayagraj for providing an information that whether the project in question is established in flood plain zone or not.

   In pursuance to the above letter the Executive Engineer, Flood Works Division, Prayagraj vide his letter dated 11.09.2024 has informed that as per the demarcation guideline of flood plain according to the letter dated 15.01.2015 of Chief Engineer, Irrigation and Water Resource Department, UP, the temple in questing is outside the demarcated embankment of river Yamuna and hence is not in the flood plain zone. A copy of letter dated 29.08.2024 and 11.09.2024 are respectively being annexed as **Annexure No.-4** and **Annexure No.-5**.

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.Q. Alld
Reg.No. 20(20)2001
Exp Date
2-2-2026
GOVT. OF U.P.
3-12-24

8. That again alongwith the copy of the order dated 27.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal the UPPCB vide letter Ref. No.

G01127/NGT O.A.No.215/2024 dated 28.11.2024 has directed the Project Proponent, M/s ISKCON Prayagraj, to comply with the directions passed by the Hon'ble NGT on 27.08.2024 with a copy to the Vice Chairman, Prayagraj Development Authority for necessary action. A copy of letter dated 28.11.2024 is being annexed as **Annexure No.-6**.

9. That site inspection of ISKCON Temple, Prayagraj was carried out by the officials of the UPPCB on 04.11.2024. During inspection, finishing work on the 3 buildings i.e. Ganga Building, Yamuna Building and Saraswati Building was found under progress. The inspection report alongwith the photographs taken during inspection are collectively being annexed as **Annexure No.-7**.

10. That vide its letter dated 24.08.2024 the Chief Town Planner/In-charge (TA), Prayagraj Development Authority has informed regarding the approval of the Map for construction of the proposed ISKCON temple. As per this letter, Chairman ISKCON temple was issued map approval on 06.01.2011 with validity till 05.01.2016. Further since they applied for extension of map approval on 12.10.2018 after expiry of the initial validity, the sanctioned map is now null and void. A copy of letter dated 24.08.2024 is being annexed as **Annexure No.-8**.

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg.No. 20(20)2001 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P. 3-12-24

11. That further on 30.11.2024 the Regional Office, UPPCB, Prayagraj vide its letter Ref. No. G01202/NGT OA No.215/2024

has asked to the Chief Town Planner/In-charge (TA), Prayagraj Development Authority in pursuance to the letter dated 24.08.2024, contained as Annexure No.-8, to provide information regarding what action has been taken by the authority against the Project Proponent, M/s ISKCON Prayagraj, after the expiry of validity period of sanctioned map in relation to Ganga Building, Yamuna Building and Saraswati Building. A true copy of the letter dated 30.11.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-9.**

12. That the Annexure annexed to the present accompanying affidavit is true copies of their respective original.

13. That the above response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.Q. Alld
Reg No 20/2012001
Exp Date
2-2-2025
GOVT. OF U.P.
3-12-24

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Prayagraj on this 03rd day of December, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

...is document was duly signed before me
...Dharm Swaroop... Ch... Akhilesh Shukla
Place at Allahabad the document is /are
Identified by Shri......... ....
Advocate the Contents of the document
has been explained to the executed was
Admit the to be Correct
And the documents is attested

R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad
3-12-24

Ramesh Chandra Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter Alld.
3-12-24

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूंसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

Annexure No. 01

पत्रांक G00836 / NGT OA No. 215 / 2024

दिनांक 29/08/2024

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

Regd./email

सेवा में,

मेसर्स ईस्कान प्रयागराज,
ए–161, काशीराज नगर, बलुआघाट,
प्रयागराज।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

".......... 3. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed their response dated 22.08.2024 stating that on the northern side of river Yamuna at a distance of 43.0 meter from stairs on the bank of river Yamuna, three buildings are being constructed. First building is named Ganga and thereafter Sarsvati and Yamuna are being constructed. It further refers to the report sent by Executive Engineer, Flood Work Division, Prayagraj stating that flood plain will be demarcated as per the definition of flood plain zone given by Engineer in Chief, Irrigation and Water Resources Department, UP in its letter dated 15.01.2015. The contents of that letter have been quoted in the report of the UPPCB and the said contents are not in consonance to the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

4. Learned Counsel for UPPCB has stated that action will be taken against the authority/person who carries out or permits construction on the flood plain zone of river Yamuna and UPPCB will ensure that no construction takes place in flood plain zone of river Yamuna....."

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला) 29/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी 29/8/24

sunil PA-AE/RO. COM

दूरभाष: / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

Annexure No. 02

पत्रांक G00835 / NGT OA No. 215 / 2024

दिनांक 29/08/2024

माo एनoजीoटीo प्रकरण
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

Regd./email

सेवा में,
उपाध्यक्ष महोदय,
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

विषयः माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओoएo संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओoएo संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"………. 3. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed their response dated 22.08.2024 stating that on the northern side of river Yamuna at a distance of 43.0 meter from stairs on the bank of river Yamuna, three buildings are being constructed. First building is named Ganga and thereafter Sarsvati and Yamuna are being constructed. It further refers to the report sent by Executive Engineer, Flood Work Division, Prayagraj stating that flood plain will be demarcated as per the definition of flood plain zone given by Engineer in Chief, Irrigation and Water Resources Department, UP in its letter dated 15.01.2015. The contents of that letter have been quoted in the report of the UPPCB and the said contents are not in consonance to the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

4. Learned Counsel for UPPCB has stated that action will be taken against the authority/person who carries out or permits construction on the flood plain zone of river Yamuna and UPPCB will ensure that no construction takes place in flood plain zone of river Yamuna….."

माo एनoजीoटीo द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 की प्रति संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

29/8/24
(डॉo एसoसीo शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी o/c

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उoप्रo प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

sunil PA-AE/RO. COM

दूरभाष / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

Annexure No. 03

पत्रांक G00834 / NGT. O.A.NO. 215/2024 दिनांक 29/08/2024

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

Regd. / email

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ कार्यखण्ड, सिंचाई विभाग,
प्रयागराज।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

".......... 3. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed their response dated 22.08.2024 stating that on the northern side of river Yamuna at a distance of 43.0 meter from stairs on the bank of river Yamuna, three buildings are being constructed. First building is named Ganga and thereafter Sarsvati and Yamuna are being constructed. It further refers to the report sent by Executive Engineer, Flood Work Division, Prayagraj stating that flood plain will be demarcated as per the definition of flood plain zone given by Engineer in Chief, Irrigation and Water Resources Department, UP in its letter dated 15.01.2015. The contents of that letter have been quoted in the report of the UPPCB and the said contents are not in consonance to the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

4. Learned Counsel for UPPCB has stated that action will be taken against the authority/person who carries out or permits construction on the flood plain zone of river Yamuna and UPPCB will ensure that no construction takes place in flood plain zone of river Yamuna….."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 की प्रति संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला) 29/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी O/C

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी 29/8/24
O/C

sunil PA-AE/RO. COM

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

Annexure No. 04

पत्रांक G00839/NGT OA.No. 215/2024 दिनांक 29/08/2024

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण
समयबद्ध

सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ कार्यखण्ड, सिंचाई विभाग,
प्रयागराज।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

".......... 3. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed their response dated 22.08.2024 stating that on the northern side of river Yamuna at a distance of 43.0 meter from stairs on the bank of river Yamuna, three buildings are being constructed. First building is named Ganga and thereafter Sarsvati and Yamuna are being constructed. It further refers to the report sent by Executive Engineer, Flood Work Division, Prayagraj stating that flood plain will be demarcated as per the definition of flood plain zone given by Engineer in Chief, Irrigation and Water Resources Department, UP in its letter dated 15.01.2015. The contents of that letter have been quoted in the report of the UPPCB and the said contents are not in consonance to the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

4. Learned Counsel for UPPCB has stated that action will be taken against the authority/person who carries out or permits construction on the flood plain zone of river Yamuna and UPPCB will ensure that no construction takes place in flood plain zone of river Yamuna....."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 की प्रति संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अग्रेतर अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा मेसर्स ईस्कान प्रयागराज, भू–खण्ड संख्या ए/161, काशीराज नगर, बलुआ घाट, प्रयागराज का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 16.08.2024 को किया गया था। मेसर्स ईस्कान प्रयागराज परिसर में 03 बिल्डिंग निर्माणाधीन पायी गयी। दिनांक 16.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय यमुना नदी के किनारे निर्मित सीढ़ी से उत्तर दिशा में लगभग 43 मीटर की दूरी पर गंगा बिल्डिंग तत्पश्चात् सरस्वती बिल्डिंग एवं उसके पश्चात् यमुना बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में यमुना नदी के किनारे निर्मित सीढ़ी से उत्तर दिशा में लगभग 43 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन बिल्डिंग के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें कि निर्माणाधीन बिल्डिंग फलड प्लेन जोन के अन्तर्गत स्थित है अथवा नहीं, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय
29/8/24
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

पृ0सं0 एवं दिनांक : उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष महोदय, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

29/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

sunil PA-AE/RO. COM

मीनाक्षी सिंह
11/09/202

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज।

Annexure No. 05

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्रयागराज।

पत्रांकः 1821 /बाकाखप्र/कोर्ट केस/दिनांकः 11\09\2024

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक G00839/NGT O.A.No-215/2024/दिनांक 29.08.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपने पत्रांक G00784/NGT O.A.No-215/2024/दिनांक 20.08.2024 द्वारा यमुना नदी एवं गंगा नदी प्रयागराज के फ्लड प्लेन जोन डिमार्केशन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की वांछना की गयी थी। आप द्वारा पुनः सन्दर्भित पत्र द्वारा वांछना की गयी है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत स्थित है अथवा नहीं।

अवगतनीय है कि आपके पत्रांक G00784/NGT O.A.No-215/2024/दिनांक 20.08.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1644/बाकाखप्र/कोर्ट-केश/दिनांक 21.08.2024 द्वारा शासनादेश संलग्न करते हुए आख्याा प्रेषित की जा चुकी है। पुनः आप द्वारा वांछित आख्या के सम्बन्ध में अवगत है कि इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1149/18-27/सिं-3-52एल/18 दिनांक 17.10.2018 संलग्न किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किये जाने के मार्गदर्शी निर्देश दिये गये हैं जो निम्नवत हैः-

1- गंगा नदी के किनारों की गणना फ्लड प्लेन जोन के अनुसार ही की जायेगी। फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 38/काप्रअ/यूनिट-9/अनिम-3, दिनांक 15.01.2015 के अनुसार की जायेगीः-

(I) जहाँ नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित हैं ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।

(II) जहाँ नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं हैं ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्रों में 1:25 बाढ़ आर्वत का डूब क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1:50 आढ़ आर्वत का डूब क्षेत्र।

उपरोक्त स्थान पर यमुना नदी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा हेतु पूर्व से ही यमुना बैंक-1 (YB-1) तटबंध निर्मित है जिसकी सीमा से बाहर ही उपरोक्त मन्दिर स्थित है। मार्गदर्शी सिद्धान्त (I) के अनुसार पत्र में वर्णित उपरोक्त संरचना निर्माणाधीन फ्लड प्लेन जोन में नहीं है। वर्तमान में प्रयागराज में यमुना नदी में सिंचाई विभाग द्वारा कोई फ्लड प्लेन जोनिंग नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

भवदीय

(डी0एन0 शुक्ला)
अधिशासी अभियन्ता

AE 11/9/24

पत्रांकः /बाकाखप्र/कोर्ट केस/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज।

2- श्री अनिल कुमार यादव सहायक अभियन्ता चतुर्थ बाढ़ कार्य खण्ड प्रयागराज।

11/09/2024

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड प्रयागराज

realme Shot on ...

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

Annexure No. 06

पत्रांक G0/127 / NGT OA NO 215 / 2024

दिनांक 28/11/2024

माo एन0जी0टी0 प्रकरण
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

मेसर्स ईस्कान प्रयागराज,
ए–161, काशीराज नगर, बलुआघाट,
प्रयागराज।

विषयः माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या जी 00836 / एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 215/2024, दिनांक 29.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से माo अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु अभी तक अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक–27.08.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

".......... 3. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed their response dated 22.08.2024 stating that on the northern side of river Yamuna at a distance of 43.0 meter from stairs on the bank of river Yamuna, three buildings are being constructed. First building is named Ganga and thereafter Sarsvati and Yamuna are being constructed. It further refers to the report sent by Executive Engineer, Flood Work Division, Prayagraj stating that flood plain will be demarcated as per the definition of flood plain zone given by Engineer in Chief, Irrigation and Water Resources Department, UP in its letter dated 15.01.2015. The contents of that letter have been quoted in the report of the UPPCB and the said contents are not in consonance to the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

4. Learned Counsel for UPPCB has stated that action will be taken against the authority/person who carries out or permits construction on the flood plain zone of river Yamuna and UPPCB will ensure that no construction takes place in flood plain zone of river Yamuna….."

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि माo अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 27.08.2024 को पारित आदेश का पूर्णतया अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

28/11/24
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/c

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 28/11/24
O/c

Received for ISKCON Prayagraj
Baluaghat, Prayagraj
Jay Prakash
28/11/24
Gen. Secretary

sunil PA-AE/RO. COM

Annexure No. 07

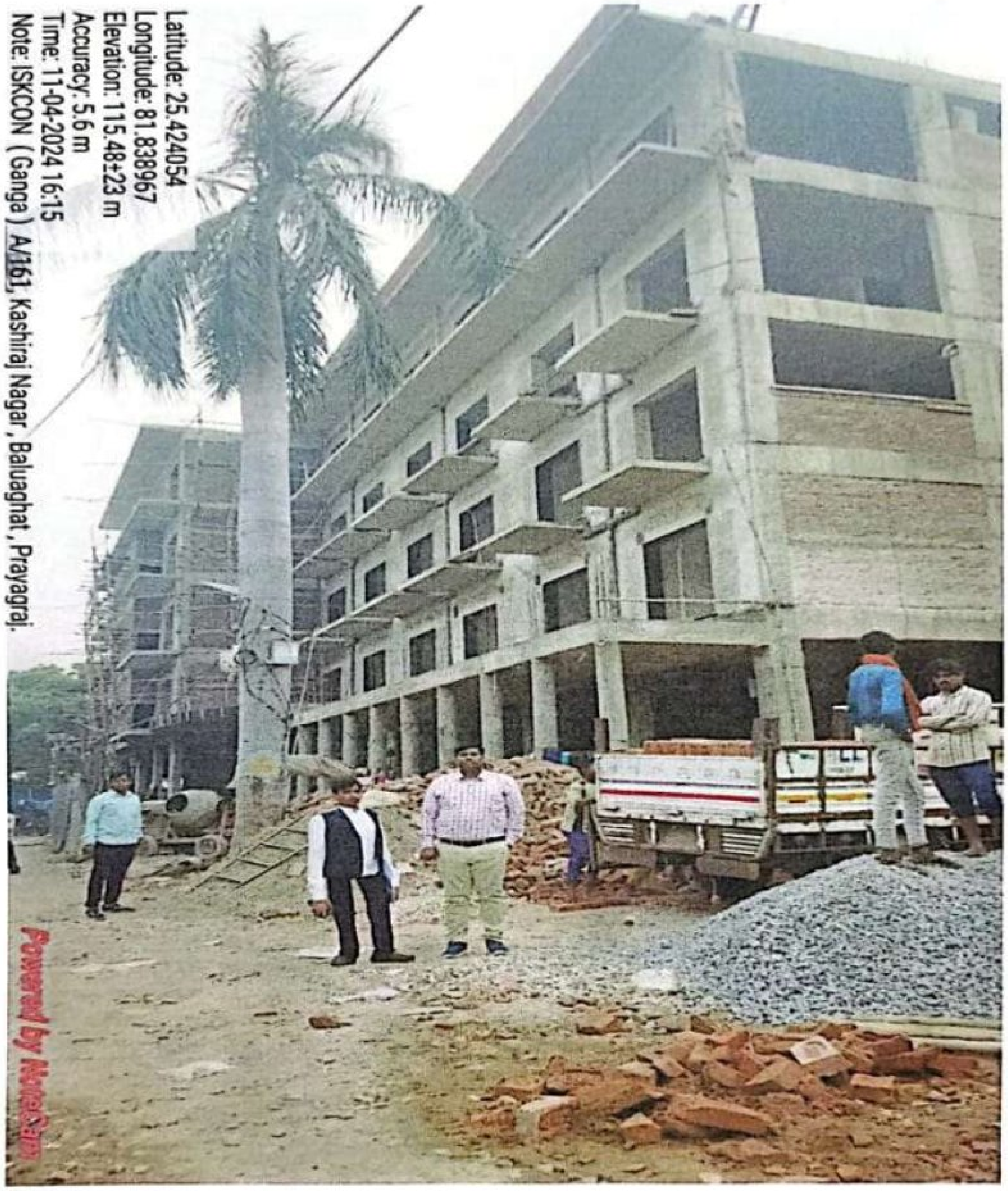

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 215/2024 अंकित तिवारी बनाम इस्कान प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.11.2024 के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 215/2024 अंकित तिवारी बनाम इस्कान प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.11.2024 के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

प्र०प्र०मि
24/08/2024

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

Annexure No. 08

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक/प्र0अ0(त0स0)
प्रयागराज विकास प्राधिकरण
प्रयागराज।

सेवा में

डॉ0 एस0सी0 शुक्ला
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास परिषद कालोनी,
सेक्टर–10, योजना संख्या–3 झूँसी,
प्रयागराज–211019

पत्रांक :145/प्र0अ0(भवन)/जोन–2/वि0प्रा0/2010–11 दिनांक 24/08/2024

विषय :मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या–G00776/NGTOA.NO.215/2024 दिनांक 16.08.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के सन्दर्भ में मेसर्स ईस्कॉन प्रयागराज, ए–161 काशीराज नगर बलुआघाट प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभागीय आख्या (बिल्डिंग मैप यदि स्वीकृत किया गया हो) एवं अन्य कार्यवाही से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि अध्यक्ष ईस्कॉन मन्दिर द्वारा स्थल 161 काशीराज नगर बलुआघाट प्रयागराज (क्षेत्रफल 7073.53 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित ईस्कॉन मन्दिर के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या–85/जोन–9/उप0–23/प्र0/2002–03 दिनांक 17.05.2004 के द्वारा तथा संशोधित मानचित्र परमिट सं0–145/प्र0अ0(भवन)/जोन–2/2010–11 दिनांक 06.01.2011 को स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार भवन निर्माण की प्रारम्भिक समयावधि दिनांक 05.01.2016 तक वैध थी। अध्यक्ष ईस्कान मन्दिर के द्वारा भवन अनुज्ञा की प्रदत्त समयावधि के उपरान्त दिनांक 12.10.2018 को समयवृद्धि हेतु आवेदन किया गया।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित 2011 में संशोधन 2016 संशोधित 2023 के प्रस्तर–3.1.5 में समयवृद्धि हेतु प्राविधान निम्नवत् है :–

(I) समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गयी अनुज्ञा अधिकतम 5 वर्ष के लिए वैध होगी।
(II) पॉच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 3 वर्षो के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।

उपरोक्तानुसार ईस्कॉन मन्दिर के द्वारा 05 वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि दिनांक 05.01.2016 को समाप्त हो जाने के उपरान्त समयवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, अतएव उक्त कारण से मानचित्र की समयवृद्धि किया जाना सम्भव न होने के कारण स्वीकृत मानचित्र स्वतः निष्प्रभावी है।

भवदीय

(टी0पी0 सिंह)
मुख्य नगर नियोजक/
प्रभारी अधिकारी (त0स0)

24/8/24

प्रतिलिपि :– उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक/
प्रभारी अधिकारी (त0स0)

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक G01202 / NGT OA.NO. 215 / 2024 दिनांक 30/11/2024

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक / प्रभारी अधिकारी (त0स0),
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

Annexure No. 09

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 145/प्र0अ0(भवन)/जोन–2/वि0प्रा0/2010–11, दिनांक–24.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। आप द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत् अवगत कराया गया है :–

"..........अध्यक्ष ईस्कॉन मन्दिर द्वारा स्थल 161, काशीराज नगर, बलुआघाट, प्रयागराज (क्षेत्रफल 7073.53 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित ईस्कॉन मन्दिर के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या 85/जोन–9/उप0–23/प्र0/2002–03, दिनांक 17.05.2004 के द्वारा तथा संशोधित मानचित्र परमिट संख्या 145/प्र0अ0(भवन)/जोन–2/ 2010–11, दिनांक 06.01.2011 को स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार भवन निर्माण की प्रारम्भिक समयावधि दिनांक 05.01.2016 तक वैध थी, अध्यक्ष ईस्कान मन्दिर के द्वारा भवन अनुज्ञा की प्रदत्त समयावधि के उपरांत दिनांक 12.10.2018 के समयावृद्धि हेतु आवेदन किया गया।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित 2011 में संशोधन 2016 संशोधित 2023 के प्रस्तर–3.1.5 में समयवृद्धि हेतु प्राविधान निम्नवत् है :–

(I). समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गयी अनुज्ञा अधिकतम 05 वर्ष के लिए वैध होगी।
(II). पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 03 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।

उपरोक्तानुसार ईस्कान मन्दिर के द्वारा 05 वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि दिनांक 05.01.2016 को समाप्त हो जाने उपरांत समयवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, अतएव उक्त कारण से मानचित्र की समयवृद्धि किया जाना सम्भव न होने के कारण स्वीकृत मानचित्र स्वतः निष्प्रभावी है।"

अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में प्रश्नगत प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 05.12.2024 को नियत है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आप द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 24.08.2024 के अनुक्रम में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निष्प्रभावी होने के पश्चात् मेसर्स ईस्कॉन मन्दिर द्वारा स्थल 161, काशीराज नगर, बलुआघाट, प्रयागराज द्वारा निर्माणाधीन गंगा बिल्डिंग, यमुना बिल्डिंग एवं सरस्वती बिल्डिंग के सम्बन्ध में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही से 02 दिन के अन्दर इस कार्यालय एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला) 30/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष महोदय, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

30/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

sunil PA-AE/RO. COM

O A No 215 of 2024 Ankit Tiwari Vs Iskcon Prayagrag

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: tiwariamit22@yahoo.com; rkhuranalegal@gmail.com; vibhavmishraoffice@gmail.com

Date: Wednesday, December 4, 2024 at 10:15 AM GMT+5:30

Sir,
Please find attached the Document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

Ankit Tiwari Reply.pdf
4.7MB